न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला – भीलवाड़ा (राज0)

राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार–2016 ग्राम पंचायत आमली

पीठासीन अधिकारी :– कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 40/2015

1. श्रीमति गीता पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

प्रार्थीया

बनाम

1. श्री श्यामलाल पिता गोपीलाल नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. श्री देवीलाल पिता गोपीलाल नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. श्रीमति पुष्पा पुत्री गोपीलाल नाई पत्नि महावीर नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा हाल निवासी रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति मंजू पुत्री गोपीलाल नाई पत्नि प्रकाश नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा हाल निवासी रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा। हाल निवासी लसाडिया कला जिला चित्तौडगढ।
5. श्रीमति शांता पुत्री गोपीलाल नाई पत्नि प्रहलाद नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा हाल निवासी रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा। हाल निवासी लसाडिया कला जिला चित्तौडगढ।
6. श्रीमति सीमा पुत्री गोपीलाल नाई पत्नि लक्ष्मण नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा हाल निवासी रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा। हाल निवासी लसाडिया कला जिला चित्तौडगढ।
7. श्रीमति संतोक पत्नि गोपीलाल नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
8. श्री किशन पिता रामा नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
9. श्रीमति दुर्गा पुत्री रामा नाई पत्नि दुर्गाशंकर नाई निवासी रामरतन नगर हाल निवासी भरक तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
10. श्रीमति उमा पुत्री रामा नाई पत्नि रतन नाई निवासी रामरतन नगर हाल निवासी भरक तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
11. भैरु पिता रामा नाई निवासी रामरतन नगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर।

विपक्षीगण

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

आदेश

दिनांक 16.05.2016

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् मुकाम आमली पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया उपस्थित प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थनापत्र की धारा संख्या 01 में वर्णित आराजियात 3691 रकबा 0.03हे., 3692 रकबा 0.03हे., 3693 रकबा 0.03हे., 3694 रकबा 0.02हे., 3857 रकबा 0.35हे., 3858 रकबा 0.35हे., 3859 रकबा 0.26हे., 3860 रकबा 0.40हे. एवं 3861 रकबा 0.13हे. कुल किता 9 रकबा 1.60हे. भूमि के किसी भी भू–भाग पर कोई नया निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं उक्त आराजियात में से विशेष खसरा नंबर को किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे और इस भूमि से मुझ प्रार्थीया को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावें एवं मुझ प्रार्थीयां के उक्त भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

विपक्षीगण द्वारा प्रा0पत्र 212 रा0टि0 एक्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब अवसर समाप्त किया जाता है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् वक्त शिविर मजमें आम में प्रार्थीया को सुना गया।

प्रार्थीया ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा0 पत्र में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वक्त सुनवाई प्रार्थीया द्वारा की गई प्रार्थना एवं उपलब्ध दस्तावेज पर गहनता से मनन किया। जमाबंदी संम्वत् 2071 से 2074 अंकित ग्राम रामरतननगर के आराजी नम्बर 3691 रकबा 0.03हे., 3692 रकबा 0.03हे., 3693 रकबा 0.03हे., 3694 रकबा 0.02हे., 3857 रकबा 0.35हे., 3858 रकबा 0.35हे., 3859 रकबा 0.26हे., 3860 रकबा 0.40हे. एवं 3861 रकबा 0.13हे. कुल किता 9 रकबा 1.60हे. भूमि में से 1/2 हक हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित होता है तथा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीया का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के ताफैसला तक जारी की जाती है कि ग्राम रामरतननगर के आराजी नम्बर 3691 रकबा 0.03हे., 3692 रकबा 0.03हे., 3693 रकबा 0.03हे., 3694 रकबा 0.02हे., 3857 रकबा 0.35हे., 3858 रकबा 0.35हे., 3859 रकबा 0.26हे., 3860 रकबा 0.40हे. एवं 3861 रकबा 0.13हे. कुल किता 9 रकबा 1.60हे. भूमि में विपक्षीगण उपरोक्त वर्णित भूमियां में प्रार्थीया का ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात का विभाजन होने से पूर्व प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात किता 9 रकबा 1.60हे0 भूमि के किसी भी भू—भाग पर कोई नया निर्माण कार्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं उक्त आराजियात में से विशेष खसरा नंबर को किसी भी तरह से खुर्द—बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे और इस भूमि से मुझ प्रार्थीया को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावें एवं मुझ प्रार्थीयां के उक्त भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग—उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्री कृष्णपाल सिंह चौहान)
सहायक कलक्टर
गंगापुर जिला भीलवाडा
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)